न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग० 2207-I/

प्र0 क0 निगरानी -एक/16

142

श्री रजनी व (हस्ताक्षर) द्वारा आज दि. 5/7/16 को प्रस्तुत

(हस्ताक्षर) क्लर्क ऑफ कोर्ट 16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-v (हस्ताक्षर) 5/7/16

घनश्याम पटेल कुर्मी तनय स्व0 सूरे कुर्मी निवासी ग्राम व पोस्ट भैरोगंज, लुगासी, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, म0प्र0

.........आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

............अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2015 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्र0क0 07/अ-6 अ/2014-15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, आवेदक घनश्याम पिता सूरा खेमचन्द्र, रामरतन ,गोपीचन्द्र, तनय देवीदीन, बतीवाई वेवा देवीदीन कुर्मी ने कलेक्टर, जिला छतरपुर के न्यायालय में यह आवेदन दिया कि ग्राम भैरोगंज, लुगासी तहसील नौगांव, जिला छतरपुर में खसरा नम्बर 4489, 4490, 4566, 5931, 6018, 6206, 6207, जिनका रकवा कमशः 0.25, 0.26, 0.40, 3.60, 1.40, 0.35, 0.33, हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकवा 6.69 हैक्टेयर पर आवेदक का मौके पर कब्जा नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वे नम्बर जो भूमि स्वामी स्वत्व के हैं खसरा नम्बर 4148, 4155, 4290, 4577, 5995 जिनका रकवा क्रमशः 0.80, 2.09, 0.08, 1.30, 0.740 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकवा 4.07

(हस्ताक्षर)

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2207 –एक/2016 विविध जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.7.16	यह विविध आवेदन अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 7 अ–6–अ/2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 16–6–2015 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 08 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 151 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 7 अ–6–अ/2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 16–6–2015 में अंकित अनुसार ग्राम लुगासी के कुल किता 7 कुल रकबा 6.69 हैक्टर में नी आवेदक का कब्जा नहीं पाया गया , परन्तु सर्वे नंबर 4148 रकबा 0.60 है, 4155 रकबा 2.09 हैक्टर, 4290 रकबा 0.08 हैक्टर, 4577 रकबा 1.30 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.07 हैक्टर पर आवेदक का कब्जा पाया गया। इस प्रकार कुल किता 11 कुल रकबा 10.66 हैक्टर आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व पर वर्तमान खसरा अर्थात बंदोवस्त के वाद की स्थिति अनुसार बताया गया है। अधीक्षक अभिलेख के आदेश दिनांक 16–6–15 में वर्णित तथ्यों अनुसार बंदोवस्त के पूर्व आवेदक के पिता सूरा पुत्र गज्जू कुर्मी का नाम भू अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में कुल किता 21 कुल रकबा 10.934 हैक्टर पर दर्ज रहा था। बंदोवस्त के वाद उसके पुत्र धनश्याम देवीदीन एंव सूरा के नाम कुल किता 11 कुल रकबा 10.66 हैक्टर अंकित हुआ, जिसमें सूरा के नाम कुल किता 5 कुल रकबा 2.59 तथा घनश्याम देवीदीन	

प्र0क0 2267 -एक/2016 विविध

के नाम कुल किता 6 रकबा 8.07 अंकित हुआ। इस प्रकार बंदोवस्त के वाद अभिलेख की स्थिति में कुल रकबा 10.93 के स्थान पर 10.66 अंकित होकर 0.27 है. की कमी कर दी गई, जिसे अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 7 अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 16-6-2015 पूर्ति करते हुये रकबा सुधार के आदेश हुआ है। आवेदक व्दारा विविध आवेदन प्रस्तुत कर मॉग की गई है कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर व्दारा आदेश दिनॉक 16-6-15 का अभिलेख में अमल नही किया जा रहा है इसलिये आदेश का पालन कराया जावे।

3/ विविध आवेदन में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर के आदेश दिनॉक 16-6-15 से आवेदक के हित में दिये गये आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में तहसील के राजस्व अधिकारियों/ कर्मचारियों व्दारा नहीं किया जा रहा है जो न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर का आदेश दिनॉक 16-6-2015 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो चुका है , इसलिये मण्डल व्दारा अधीक्षण शक्तियों के कम में पालन कराने के आदेश दिये जॉय ।

म0प्र0शासन के पैनल लायर का तर्क है कि अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा पारित आदेश का पालन तहसीलदार व्दारा क्यों नहीं किया जा रहा है आवेदक के अभिभाषक बताने तैयार नहीं है इसलिये प्रकरण इसी-स्तर पर समाप्त किया जाय।

प्र0क02207-एक/2016 विविध

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 7 अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 16-6-15 में अंकित अनुसार सूरा के नाम कुल किता 5 कुल रकबा 2.59 तथा घनश्याम देवीदीन के नाम के कुल किता 6 रकबा 8.07 में बंदोवस्त के वाद अभिलेख की स्थिति में कुल रकबा 10.93 के स्थान पर 10.66 अंकित होकर 0.27 है. की कमी होने से कमी की पूर्ति करने के आदेश दिये गये है एंव इस आदेश के विरूद्व किसी वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी अपील/निगरानी नहीं हुई है तथा आदेश अंतिम रूप ले चुका है, तब इस आदेश का पालन होना चाहिये, जबकि आवेदक के अभिभाषक के अनुसार तहसीलदार नौगॉव को आवेदन करने पर भी उनके व्दारा उक्तादेश अमल नहीं किया जा रहा है जो न्यायिक प्रकिया के विपरीत कार्यवाही है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर विविध आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 7 अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 16-6-15 का पुष्टिकरण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में करावें।

सदस्य